# FORM-1

## (for linear projects)

## Government of Uttarakhand
## Office of the District Collector, Chamoli

**No---** **Dated-22.09.19**

### To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that …… hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Works Department Uttarakhand for Extension of Simli-Choolakot Motor road to Jangalchatti in Block Karanprayag, District Chamoli under C.M. Ghoshna falls within jurisdiction of Randoli, Kheti and Malsi Village in Adibadri tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 7.087 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23 (A).

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

**Eucl: As above.**

जिला अधिकारी
चमोली
Swati S. Bhadoriya
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)

जिला समाज कल्याण अधिकारी.
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

Scanned with CamScanner

ANNEXURE....

# OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, DISTRICT CHAMOLI (UK.)

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of Chamoli district (Uttarakhand), constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mrs. Swati S. Bhadoriya I.A.S District Magistrate Chamoli (Uttarakhand) on date 22.02.19 at time 4:00 PM at Gopeshwar in which application claiming rights in Village Randoli, Kheti and Malsi of Tehsil Adibadri area measuring 7.087 hect for the **Extension of Simli-Choolakot Motor road to Jangalchatti in Block Karanprayag, District Chamoli under C.M. Ghoshna** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of ........... sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

**Place;** Gopeshwar (Chamoli).
**Dated:** 22.2.19.

**Swati S. Bhadoriya**
District Magistrate
Chairman, District Level
Committee, Chamoli
जिला अधिकारी
चमोली

उप वन संरक्षक
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

Scanned with CamScanner

(7) (19)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में सिमली–बैनीतान मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्णप्रयाग

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में सिमली–बैनीताल मोटर मार्ग का जंगलचट्‌टी तक विस्तारीकरण हेतु ( 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 2.761 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 2.761 हे0 वन भूमि ) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रयाग) की दिनांक 28.09.18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जी0आर0 बिनवाल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री जी0आर0 बिनवाल उपजिलाधिकारी ———— अध्यक्ष

2– श्री एस0 परमार वन क्षेत्राधिकारी उपप्रभागीय वनाधिकारी ———— सदस्य

3– श्री धनंजय बिनवाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी ———— सदस्य / सचिव

4– श्री बालचन्द्र पुरोहित वनाधिकार समिति सदस्य

5– श्री महिपाल सिंह नेगी वनाधिकार समिति सदस्य

उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग

सहायक समाज कल्याण अधिकारी, विकास खण्ड ...... जिला - चमोली

वन क्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर रेंज नारायणबगड़

सदस्य क्षेत्र पचायत वार्ड-थिरपाक वि0ख0-कर्णप्रयाग (चमोली)

क्षेत्र पंचायत सदस्य कर्णप्रयाग

Scanned with CamScanner

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि सिमली–बेनीताल मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण परियोजना हेतु 2.761 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ————————द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड आदीबद्री परिक्षेत्र के अन्तर्गत सिमली–बेनीताल मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण परियोजना के निर्माण हेतु 2.761 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कर्णप्रयाग
जनपद–चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ............................................ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कर्णप्रयाग
जनपद–चमोली

Scanned with CamScanner

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में सिमली–बैनीताल मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, गैरसैंण
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, आदिबद्री

उपखण्ड आदिबद्री परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में सिमली–बैनीताल मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण हेतु ( 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 4.326 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 4.326 हे0 वन भूमि ) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील आदीबद्री) की दिनांक 06/07/19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जी0आर0 बिनवाल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री जी0आर0 बिनवाल उपजिलाधिकारी ——————— अध्यक्ष

2– श्री के0एस0 परमार वन क्षे0 अधिकारी ——— उपप्रभागीय वनाधिकारी ——————— सदस्य

3– श्री ———— सहायक समाज कल्याण अधिकारी ——— सदस्य/सचिव

4– श्री मंगला दत्त पुरोहित वनाधिकार समिति सदस्य

5– श्री महिपाल सिंह नेगी वनाधिकार समिति सदस्य — ग्राम पंचायत सदस्य

उप जिलाधिकारी गैरसैंण

वन क्षेत्राधिकारी

सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड ........

सदस्य क्षेत्र पंचायत वार्ड–चिरांगक वि0ख0–कर्णप्रयाग (चमोली)

Scanned with CamScanner

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि सिमली–बेनीताल मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण परियोजना हेतु 4.326 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ——————द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड आदीबद्री परिक्षेत्र के अन्तर्गत सिमली–बेनीताल मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण परियोजना के निर्माण हेतु 4.326 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– आदीबद्री
जनपद–चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ............................................ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– आदीबद्री
जनपद–चमोली

Scanned with CamScanner

आज दि० 20-6-18 को ग्राम पंचायत सरपंच श्री. त्रिलोक सिंह की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई। जिसमें निम्न प्रस्ताव पर ग्राम वासियों एवं P.W.D कर्णप्रयाग के सभी कर्मचारी के साथ मा० मुख्य मन्त्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में सिमली-बेनीताल मोटर मार्ग का गंगानगरी तक विस्तारीकरण के सम्बन्ध में विचार किया गया, सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त मार्ग में ग्राम खेती की भूमि आती है तथा सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि उक्त मार्ग मेहरगांव खेती की भूमि से मार्ग का विस्तारीकरण किया जाता है तो ग्राम सभा को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

प्रधान ग्राम पंचायत खेती
ह० [illegible]
वि० ख० गैरसैंण (चमोली)

सरपंच वन पंचायत
20/06/18
खेती

विजयसिंह
Jaibeer
Birendra
देवसिंह
प्रेमसिंह
[illegible]
Rajendra
[illegible]

[illegible]
राजेन्द्र सिंह
[illegible]
[illegible]
युवराजसिंह

[illegible]

(24)

<u>प्रपत्र–23.1</u>

परियोजना का नामः– मा. मुख्य मंत्री घोषणा के अर्न्तगत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में सिमली–बैनीताल मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण।

वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नामः– रण्डोली, खेती, मालसी,,

तहसील – आदीबद्री, जिला.– चमोली,

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अर्न्तगत विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में सिमली–बैनीताल मोअर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण परियोजना के निर्माण हेतु ( 0.00 हे. आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे. सिविल सोयम भूमि 0.00 हे., वन पंचायत भूमि 7.087 हे.) अर्थात कुल 7.087 हे. वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/~~संस्था~~ के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रण्डोली, खेती, मालसी .द्वारा दिनांक 08-1-2017............ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रण्डोली, खेती, मालसी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रधान ग्राम पंचायत मालसी
ह० [signature]
दि०
वि० ख० गैरसैंण (चमोली)

प्रधान ग्राम पंचायत रण्डोली
ह० [signature]
दि० ....................
वि० ख० गैरसैंण (चमोली)

Scanned with CamScanner

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह./—

ग्राम सचिव. ग्राम प्रधान— रण्डोली, खेती, मालसी

नोटः— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय!

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र— 23.1

दिनाक 08/1/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत — रण्डोली, खेती, मालसी

कमांक ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम हस्ताक्षर

1:— सर्व. श्री बलवन्तसिंह

2— मदनसिंह

3:— गोविन्द सिंह

4:— मेहरबानसिंह

5:— [illegible]

प्रधान ग्राम पंचायत र... ह० ... दि० ... वि० ख० गैरसैंण (...)

प्रधान ग्राम पंचायत मालसी ह० ... दि० ... वि० ख० गैरसैंण (चमोली)

सुशीला देवी
सदस्य ग्राम पंचायत
वार्ड सं0 10 मालसी
वि0ख0 गैरसैंण (चमोली)

Scanned with CamScanner

# अनापत्ति प्रमाण

जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में सिमली बेनीताल मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक डामरीकरण निर्माण हेतु बेनीताल से जंगल चट्टी तक जो संमरेखण किया गया है वह उचित है

प्रधान ग्राम पंचायत ... ह० डोभ्याल दि० ... गैरसैंण (चमोली)

प्रधान ग्राम पंचायत ... ह० ... दि० ...

प्रधान ग्राम पंचायत मालसी ह० [illegible] दि० वि० ख० गैरसैंण (चमोली)

सुशीला देवी
सदस्य ग्राम पंचायत
वार्ड सं० 10 मालसी
वि०ख० गैरसैंण (चमोली)

(1) बलवन्तसिंह
(2) महेन्द्रसिंह
(3) [illegible]
(4) [illegible]
(5) [illegible]

Jaibeer Singh

जोगेन्द्र सिंह

महरबानसिंह

[illegible] शसिंह

[illegible]

Rajender

Vinod singh